प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **156/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
Lila Devi Add: Jogi talab, Nela, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14/01/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329478697168882 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/156/25/962–63 दिनांक 19.09.2025, पत्रांक 1027–28 दिनांक 26.09.2025 एवं पत्रांक 1286–87 दिनांक 22.12.2025 तथा ऑनलाईन पत्र क्रमांक 2666160055 दिनांक 16.09.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा जरिये पत्रांक स. लो.सू.अ./2025/3871–72 दिनांक 26.12.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थीयां द्वारा दिनांक 09.06.2025 को आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर पुलिस थाना गोवर्धन विलास के मर्ग संख्या 08/2023 की स्वीकृति आदेश की सूचना चाही गई है। उक्त मर्ग संख्या 08/2023 की पत्रावली पुलिस थाना गोवर्धन विलास से कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाना गोवर्धन विलास की मर्ग पत्रावली संख्या 08/2023 की सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय से चाही गई है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलोत्तर अनुसार उक्त सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर से संतुष्ट है। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराये एवं अपील में भी नियत समयावधि में जवाब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-01-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर